

384

सक्षम न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

निगरानी सतना भू-रू/२०१७/१९६३



01-ज्ञान सिंह तनय श्री वरमदीन सिंह निवासी पोंडी तहसील रघुराजनगर वृत्त कोठी थाना कोठी जिला सतना (म०प्र०)

02-बिहारीलाल पाण्डये तनय श्री रामविश्वास पाण्डेय निवासी पोंडी तहसील रघुराजनगर वृत्त कोठी थाना कोठी जिला सतना (म०प्र०)-----अनावेदक/निगराकार गण

बनाम

कोदूलाल कुशवाहा तनय स्व० श्री सीताराम कुशवाहा उम्र 50वर्ष, पेशा-कृषि निवासी ग्राम पोंडी तहसील रघुराजनगर वृत्त कोठी थाना कोठी जिला सतना (म०प्र०)-----गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू०रा०संहिता 1959

प्रस्तुत द्वारा आज दि 28.6.17 को

पलक ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 28.6.17

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान नायब तहसीलदार/राजस्थानिक वृत्त कोठी तहसील

रघुराजनगर जिला सतना म०प्र० के राजस्व प्रकरण क०59ए12/2013-14

आदेश दिनांक 04.07.2014

Handwritten signatures and names: Yashwantrao, राजस्थानिक, and other illegible signatures.

मान्यवर,

अनावेदक/गैर निगराकार गण निम्न तथ्यों के आधार पर

निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :-

- 2 -

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :-तीन/निगरानी/सतना/भू.रा./2017/1963

ज्ञान सिंह व अन्य विरुद्ध कोदूलाल कुशवाहा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार अग्रिमभाषक हस्ता
27-03-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक की ओर से श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया अभिभाषक उपस्थित ।3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त कोठी, तहसील रघुराजनगर, जिला-सतना के प्रकरण क्रमांक 59/अ-12/2013-14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 04-07-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर, जिला-सतना को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 27-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । <p style="text-align: right;">(आस्.क. जे.न.) सहस्य 24/3/19</p>	